

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वातंत्र्य केवल आवासीय प्रयोजन  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 712 दिनांक 15/09/2020

प्राप्ति बाबुराम s/o श्री आदुराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/5615, 5616

दिनांक 15/09/2020 को जमा करा दी है ।

जी + 1  
आवासीय

P.No = 159 ग्राम चौपासनी  
जमीर, खम्भ संख्या 115

15/9/2020

सहायक नगर निवांजक  
नगर निगम, जोधपुर

Manoj

Manoj Prajapat s/o Shri Babu Ram Prajapat

9784169940